

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1878] No. 1878] नर्ड दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर:4, 2015/भाद्र 13, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

का.आ.2413(अ),—दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को परिस्थितिकी संवेदनशील जोन के रूप में घोषित करने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना सं. का. आ. 2927(अ) तारीख 17 नवंबर, 2014, को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे

और उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 17 नवंबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जहाँ, सभी व्यक्तियों एवं पर्णधारियों से उक्त प्रारूप अधिसूचना कि प्राप्त सभी प्रतिक्रिया में आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा यथाविधि विचार किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में स्थित दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य 91.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और दमन गंगा नदी के लिए एक महत्वपूर्ण जल भरण का निर्माण करता है ;

और इस अभयारण्य में तेंदुआ, लकडबघा, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, चार सींग वाला हिरण, गीदड, नीलगाय, सांभर, हिरण और चीतल जैसे प्राणियों तथा काला ड्रोंगो, बुलबुल, किंगफिशर, इग्रेट, हुपो, मैना, हेरन, लाल जंगली मुर्गी जैसी पक्षियों की अनेक प्रजातियां की प्रचुरता है ;

और दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र, जिसके विस्तार और सिमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है, को परिस्थितिकी संवेदनशील जोन के रूप में संरक्षित और परिरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों अथवा उद्योगों के वर्ग, संक्रियाओं या प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है ;

अतः केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से सभी ओर के सौ मीटर तक के क्षेत्र को या अभयारण्य के पास से गुजरने वाली विद्यमान सड़क के

दायी ओर के क्षेत्र को (अभयारण्य की ओर का) इसमें से जो भी कम हो, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रुप में घोषित करती है जिसके ब्यारे निम्नानुसार हैं :--

- 1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का विस्तार और सीमाएं :—(1) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 26.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र फैला हुआ है तथा पारिस्थितिक जोन में 36 गांव स्थित हैं ।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का विस्तार, दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 100 मीटर तक या अभयारण्य के पास से गुजरने वाली विद्यमान सड़क के दायीं ओर (अभयारण्य की ओर का) के क्षेत्र तक इसमें से जो भी कम हो, है ।
 - (3) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का नक्शा प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ उपाबंध 1 पर है ।
 - (4) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आने वाले गांवों की सूची **उपाबंध**—II में उपाबद्ध है ।
- 2. पारिस्थितिकी सर्वेदनशील जोन के लिए आंचिलक महायोजना— (1) दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों के अनुसार एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगा ।
- (2) उक्त आंचलिक महायोजना को दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा !
- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना को दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन (जिसे इसमें इसके पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कहा गया है) द्वारा ऐसी रीति में, जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केंद्रीय विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, यदि कोई हों, तैयार किया जाएगा ।
- (4) आंचलिक महायोजना को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी संबंधित विभागों के साथ परामर्श से उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को समाहित करने के लिए, तैयार किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (v) राजस्व;
 - (vi) शहरी विकास;
 - (vii) पर्यटन;
 - (viii) ग्रामीण विकास;
 - (ix) नगरपालिक;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) सिंचाई;
 - (xii) लोक निर्माण विभाग;
 - (xiii) जल संसाधन;
 - (xiv) सिंचाई,
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू—उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थिकीय अनुकूलता में और सुधार करेगी ।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल—संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करेंगी ।
- 3. संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--
- (i) भूमि उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान—कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और आमोद—प्रमोद के प्रयोजन के लिए विन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या उद्योगों से संबंधित विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमियों का संपरिवर्तन संघ राज्य—क्षेत्र स्तरीय मानीटरी समिति की सिफारिश पर और संघ राज्य—क्षेत्र प्रशासन के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 16, 23 और क्रम सं. 25 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (i) विद्यमान सङ्कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सङ्कों का संनिर्माण;
- (ii) वर्षा जल संचय; और
- (iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनकं स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि संघ राज्य—क्षेत्र प्रशासन के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू—अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि संघ राज्य—क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य—क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित की जाएगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक झरने प्राकृतिक झरनों के सभी आबाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्वारीकरण के लिए आंचलिक महायोजना में योजनाओं को समाविष्ट किया जाएगा और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ऐसी रीति में मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे, जो इन क्षेत्रों में या उनके निकट उन विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध कर सके, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकर हैं।
- (3) पर्यटन दृ (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्य—क्षेत्र प्रशासन के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :--
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय—समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकय पर्यटन मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटर्ल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

- (4) नैसर्गिक विरासत पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण्, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प—तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।
- (6) ध्विन प्रदूषण पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
- (7) वायु प्रदूषण पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
- (8) बहिसाव का निस्सारण पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
 - (e) <u>तोस अपशिष्टः</u> ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा
 - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
 - स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के (ii) लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगाः; (iii)
 - अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
 - (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
 - (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित् होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
 - 4. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के मीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में की सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

		टिप्पणियां
क्र.सं.	क्रियाकलाप	3
1	. 2	(क) सभी प्रकार का खनन (लघु और मुख्य खनिज) ,पत्थर के उत्खनन और तोड़ने वाली
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	इंकाइयों का प्रतिषेध होंगा । (ख) खनन संक्रियाएं गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में 1995 की रिट (ख) खनन संक्रियाएं गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाले मामले में याचिका (सिविल) सं. 2002 में टी एन गोवावर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ वाले मामले में
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) ।	माननीय उच्चतम न्यायालय के अतारन आवर पारिति करने वाले उद्योगों के विस्तार पारित्थितिकी संवेदनशील जोन में नए या प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों के विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में किसी प्रकार का कोई नवीन सिन्नर्माण अनुज्ञात नहीं
3.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	किया जाएगा । पंरतु स्थानीय व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर संन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

4.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (सिविल अन्यथा उपबंधित के) ।
5.	आरा मिलें लगाना।	पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों को अनुज्ञात नर्ह किया जाएगा ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (सिविल अन्यथा उपबंधित कें) ।
7.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	
8.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (सिविल अन्यथा उपबंधित के) ।
9.	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (सिविल अन्यथा उपबंधित के) !
10.	वायु यान, गर्म हवा के गुब्बारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (सिविल अन्यथा उपबंधित के) ।
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसार्टी की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसाटौं को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
		विनियमित क्रियाकलाप
12,	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजरव या निजी भूमियों पर वृक्षों को काटा नहीं जाएगा । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों और तन्द्रीन बनाए गए के अनुसार विनियमति होगी ।
13.	जल संसाधनों जिसके अंतर्गत भू जल संचय भी है, का वाणिज्यिक उपयोग ।	(क) भू अधिमांगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए भू पृष्ठजल और भूगर्भजल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपभोग जिसके अंतर्गत जल की वह मात्रा भी है जिसका निष्कर्षण किया जा सकेगा, के लिए भू पृष्ठजल और भूगर्भजल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी । (ग) भू पृष्ठजल और भूगर्भजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कृषि भी है ।
14.	उपचारित बहिर्स्चाव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्चाव के पुनः चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा और गाद या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुसरण किया जाएगा ।
15.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन करना !
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और यथा लागू न्यूनिकरण उपाय के अनुसार किया जाएगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	केवल वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
19.	होटलों और लॉज परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
20.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
21.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । /	गैर प्रदूषणकारी, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से स्वेदशी मालों का उत्पादन कर रहे हैं और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल संघात कारित नहीं करते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
22.	गैस पाइप लाइनों को बिछाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
9	. '	संवर्धित क्रियाकलाप
23.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
24.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
25.	कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय प्रसुविधाएं भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
26.	नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
/	· CT15-2	

- 5. दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी नामक एक समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी और निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :--
- (क) प्रशासक, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र अध्यक्ष ;
- (ख) मुख्य वन परिरक्षक, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सदस्य ;
- (ग) मुख्य वन्यजीव वार्डन, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सदस्य ;
- (घ) उप वन परिरक्षक (प्रादेशिक), दादरा और नागर हवेली सदस्य ;
- (ड.) सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण समिति, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सदस्य ;
- (च) निवासी उपकलक्टर, सिलवासा सदस्य ;
- (छ) निवासी उपकलक्टर, खानवेल सदस्य ;
- (ज) मुख्य नगर योजनाकार, दादरा और नागर हवेली सदस्य;
- (झ) सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिकारी, दादरा और नागर हवेली सदस्य;
- (ण) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसका नामनिर्देशन संघे राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की पदावधि के लिए किया जाएगा — सदस्य;
- (ठ) उप वन परिरक्षक (वन्यजीव), दादरा और नागर हवेली सदस्य सचिव

निर्देश निबंधन :

- (2) संघ राज्यक्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी ।
- (3) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में आते हैं और पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के अंतर्गत आते हैं, इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाउपबंधित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाउपबंधित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापित के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (4) ऐसे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में नहीं आते हैं किंतु पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आते हैं, इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाउपबंधित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएंगें ।
- (5) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति का सदस्य सचिव या संबंधित जिला कलक्टर या वन्यजीव अभयारण्य या भारसाधक प्रभागीय वन अधिकारी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 19) की धारा 19 के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा जिसने इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।
- (6) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति मुद्दे दर मुद्दे के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विचार विमर्श करने में अपनी सहायता के लिए संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों उद्योग संगमों से प्रतिनिधियों को या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर संकंगी ।
- (7) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति उपाबंध III में दिए गए रुप विधान के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत कर सकेगी ।
- (8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय—समय पर संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन गानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावशाली निर्वहन के लिए निदेश देगा ।

- 6. केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।


[फा. सं. 25/26/2014—आरई/ईएसजेड]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंघ - I

पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का मानचित्र

ECO-SENSITIVE ZONE MAP AROUND DADRA AND NAGAR HAVELI WILD LIFE SANCTUARY



ED BY DADRA AND NAGAR HAVEL! PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY

		उपाबंध 1 जारी
क्र.सं. मानचित्र के अनुसार	गाँव	निर्देशांक
dignit ,	अथाल	72°59'18.843"पू 20°15'48.377" ਚ
	अधाल	72°59'1.788" पू 20°15'52.764" ਚ
	अथाल	72°58'46.043" पू 20°15'49.833" ਚ
	अथाल	72°58'41.554" पू 20°15'40.157" ਚ
)	अथाल	72°58'0.32" ਪ੍ਰ 20°14'59.35" ਚ
3	खारदपाडा	72°57'58.986" ਪ੍ਰ 20°14'49.939" ਚ
7	खारदपाडा	72°57'55.839" ਪ੍ਰ 20°14'49.216" ਚ
8	खारदपाडा -	72°57'46.47" पू 20°14'41.545" ਚ
	खारदपाडा	72°57'43.155" पू 20°14'35.09" ਤ
9	खारदपाडा	72°57'46.218" पू 20°14'23.668" ਚ
10	खारदपाडा	72°57'48.363" पू 20°14'8.111" ਚ
11	खारदपाडा	72°57'29.902" ਪ੍ਰ 20°14'8.813" ਚ
12	लुहारी	72°57'35.214" पू 20°12'0.782" ਚ
13	लुहारी	72°58'7.506" पू 20°12'56.152" ਚ
14	लुहारी	72°58'18.191" पू 20°12'55.817" ਚ
15	लुहारी	72°58'25.849" पू 20°12'45.593" ਚ
16	लुहारी	72°58'15.348" पू 20°12'31.723" ਚ
17		72°58'11.877" ਧੂ 20°12'18.622" ਚ
18	लुहारी	72°57'53.332" ਪ੍ਰ 20°12'7.408" ਚ
19	लुहारी ,	72°57'39.478" ਪ੍ਰ 20°11'12.939" ਚ
20	लुहारी	72°57'48.662" ਪ੍ਰ 20°10'57.234" ਚ
21	लुहारी	72°58'12.187" ਪ੍ਰ 20°11'36.004" ਚ
22	लुहारी	72°58'22.488" ਪ੍ਰ 20°12'5.224" ਚ
23	लुहारी	72 58 22.400 ਪ੍ਰੈ 20 12 17.074" ਚ
24	लुहारी	72 5836.636 ਪ੍ਰੈ 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
25	लुहारी	72 58 40. 902 4 20 11 52.822" च
26	लुहारी	72 58 35.802 र् 20 11 52 52 52 53 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
27	लुहारी	72°58'27.221" पू 20°11'37.094" उ
28	लुहारी	72°58′27.221′ \(\frac{7}{20}\) 1107.034 \(\frac{7}{20}\)
29	लुहारी	72°58'29.222" पू 20°11'13.743" उ
30	खारदपाडा	72°59'11.793" पू 20°14'14.803" उ
31	कारद	- 73°3'5.923" पू 20°12'11.41" च
32	कारद	73°2'36.318" पू 20°12'30.101" च
33	कारद	73°3'15.685" पू 20°13'25.307" च
34	कारद	73°3'28.294" ਪ੍ਰ 20°13'46.071" ਚ
35	सायली	73°3'28.289" ਪ੍ਰ 20°13'46.53" ਚ
36	सायली	73°3'29.043" ਪ੍ਰ 20°14'3.954" ਚ
37	सायली	73°3'33.914" ਪ੍ਰ 20°14'22.34" ਤ
38	सायली	73°3'22.954" ਪ੍ਰ 20°14'5.491" ਰ
39	सायली	73°3′2.546" ਧ੍ਰ 20°14′6.639" ਚ
40	सायली	73°2'50.322" 및 20°14'13.378" ਚ
41	सायली	73°2'37.593" 및 20°14'21.715" 당
42	सायली	73°2'27.513" ਪ੍ਰ 20°14'31.685" ਚ
43	सायली	73°2'50.59" ਪ੍ਰ 20°14'30.797" ਚ
44	सायली	73°2'19.047" ਧ੍ਰ 20°15'7.797" ਚ
45	सायली	73°2'2.27" पू 20°15'28.921" ਚ
46	अथोला	73°2'28.59" ਧ੍ਰ 20°15'40.673" ਚ

47	अथोला	73°2'22.427" ਪ੍ਰ 20°16'26.664" ਚ
48	अथोला	73°2'26.691" ਪ੍ਰ 20°16'35.191" ਚ
49	अथोला	73°2'34.493" पू 20°16'32.757" उ
50	अथोला	73°2'46.764" ਖ੍ਰ 20°16'3.104" ਚ
51	फालन्दी	73°3'10.839" ਪ੍ਰ 20°15'40.915" ਚ
52	फालन्दी	73°2'58.824" ਪ੍ਰ 20°16'9.655" ਚ
53	फालन्दी	73°3'3.54" पू 20°16'20.936" उ
54	फालन्दी	73°3'14.938" ਪ੍ਰ 20°16'22.208" ਚ
55	फालन्दी	73°3'29.015" ਪ੍ਰ 20°16'3.344" ਚ
56	फालन्दी	73°3'33.831" ੰਧੂ 20°15'47.128" ਚ
57	फालन्दी	73°3'48.967"ੰ ਪ੍ਰ 20°15'40.65" ਚ
58	उमरकुई	73°4'3.906" ਪ੍ਰ 20°15'30.502" ਚ
59	उमरकुई	73°4'6.267" पू 20°15'16.321" उ
60	उमरकुई	73°4'19.62" पू 20°15'16.468" उ
61	उमरकुई	73°4'21.943" पू 20°15'24.972" उ
62	उमरकुई	73°4'40.404" पू 20°15'24.487" उ
63	उम्प्रकुर्ट्	73°4'42.459" पू 20°15'15.343" उ
64	उमरकुई	73°4'51.126" पू 20°15'21.396" उ
65	जमरकुई 	
66	उमरकुई उमरकुई	73°4'38.6" 및 20°15'32.946" 당
67	उमरकुई	73°4'37.437" ਧ੍ਰ 20°15'48.516" ਚ
	गालोन्डा	73°4'42.705" ਪ੍ਰ 20°16'14.24" ਚ
68	गालोन्डा	73°4'27.119" ਪ੍ਰ 20°16'37.443" ਚ
69	गालोन्डा	73°4'35.793" ਖ੍ਰ 20°16'43.038" ਚ
70		73°4'30.092" ਪ੍ਰ 20°16'52.371" ਚ
71	गालोन्डा	73°4'14.723" ਪ੍ਰ 20°16'57.931" ਚ
72	गालोन्डा	73°4'32.837" ਪ੍ਰ 20°17'6.151" ਚ
73	गालोन्डा	73°4'37.035" ਪ੍ਰ 20°17'20.175" ਚ
74	किलवानी	73°4'57.716" ਪ੍ਰ 20°17'17.194" ਚ
75	किलवानी	73°4'55.214" ਪ੍ਰ 20°17'3.417" ਚ
76	किलवानी	73°5'4.018" पू 20°16'58.472" ਚ
77	किलवानी	73°5'18.663" ਪ੍ਰ 20°17'12.382" ਚ
78	किलवानी	73°5'19.31" पू 20°17'19.034" ਚ
79	किलवानी	73°5'32.258" ਪ੍ਰ 20°17'32.696" ਚ
80	किलवानी	73°5'52.339" ਪ੍ਰ 20°17'39.102" ਚ
81	किलवानी	73°5'57.849" ਪ੍ਰ 20°17'45.349" ਚ
82	बोनता	73°6'3.834" ਪ੍ਰ 20°17'32.581" ਚ
83	बोनता	73°6'41.354" ਪ੍ਰ 20°17'43.07" ਚ
84	बोनता .	73°7'7.338" ਪ੍ਰ 20°17'43.579" ਰ
85	बोनता	73°6'44.879" ਪ੍ਰ 20°17'32.796" ਤ
86	बोनता	73°6'37.895" ਪ੍ਰ 20°17'27.908" ਚ
87	बोनता	73°6'55.759" ਧੂ 20°17'16.872" ਚ
88	बोनता	73°6'47.609" ਧੂ 20°16'47.909" ਚ
89	बोनता	73°7'7.897" पू 20°16'37.128" ਚ
90	बोनता	73°7'38.705" ਪ੍ਰ 20°16'19.812" ਚ
91	बोनता	73°7'31.636" ਪ੍ਰ 20°16'42.195" ਚ
92	बोनता	73°8'3.364" ਪ੍ਰ 20°17'9.804" ਚ
93	बोनता	73°8 15.253" ਪ੍ਰ 20°17'10.847" ਚ
94	बोनता	73°8'9.566" ਪ੍ਰ 20°16'18.308" ਚ
95	चिंचपाडा	72°59'37.633" ਪ੍ਰ 20°12'51.001" ਚ
96	चिंचपाडा	73°0'1.49" ਪ੍ਰ 20°12'7.734" ਚ
97	चिंचपाडा	73°1'1.622" ਪ੍ਰ 20 ⁴ 11'53.75" ਚ

18	चिंचपाडा, दापदा	73°0'48.154" ਪ੍ਰ 20°11'43.973" ਚ
99	दापदा	73°0'6.642" ਪ੍ਰ 20°11'44.419" ਤ
100	दापदा	73°0'7.218" पू 20°11'37.322" उ
101	दापदा	72°59'54.175" ਧੂ 20°11'32.361" ਚ
102	चिकाली	72°59'44.725" पू 20°11'31.108" ਚ
103	चिकाली	72°59'48.742" ਪ੍ਰ 20°11'20.613" ਤ
104	चिकाली	72°59'58.49" ਧ੍ਰ 20°11'17.515" ਚ
105	चिकाली	73°0'19.2" ਧੂ 20°11'11.334" ਚ
106	चिकाली	73°0'14.577" ਪ੍ਰ 20°10'53.179" ਚ
107	चिकाली	73°0'36.036" ਧ੍ਰ 20°10'45.173" ਚ
108	चिकाली	73°0'46.901" पू 20°10'49.649" ਚ
109	चिकाली	73°1'5.072" ਧੂ 20°10'32.897" ਚ
110	चिकाली	73°0'57.16" ਪ੍ਰ 20°10'25.246" ਚ
111	चिकाली	73°1'19.704" ਪ੍ਰ 20°10'8.084" ਚ
112	खदोली	73°1'24.06" पू 20°9'49.8" ਚ
113	खदोली	73°1'3.231" ਧੂ 20°9'46.587" ਚ
113	खदोली	73°1'12.047" 및 20°9'21.021" ਜ਼
	खदोली	73°1'33.1" पू 20°9'6.362" ਚ
115	अमबोली	73°1'27.575" ਧੂ 20°9'1.946" ਚ
116	अमबोली	73°1'14.727" ਪ੍ਰ 20°9'0.885" ਚ
117	अमबोली	73°1'19.233" ਪ੍ਰ 20°8'49.936" ਚ
118	अमबोली	73°1'9.061" ਪ੍ਰ 20°8'29.198" ਚ
	अमबोली	73°0'30.173" ਪ੍ਰ 20°8'15.239" ਚ
120	सुरंगी '	73°0'12.808" पू 20°8'26.042" ਚ
121	सुरंगी	73°0'53.42" ਧੂ 20°8'57.208" ਚ
122	सुरंगी	73°0'51.077" ਪ੍ਰ 20°9'9.785" ਚ
123	सुरंगी	73°0'59.026" ਪ੍ਰ 20°9'14.458" ਚ
124	सुरंगी	73°0'56.304" ਪ੍ਰ 20°9'37.801" ਤ
125	सुरंगी	73°0'28.181" ਪ੍ਰ 20°10'13.919" ਚ
126		73°0'14.619" ਪ੍ਰ 20°10'11.703" ਚ
127	सुरंगी	73°0'1.844" ਪ੍ਰ 20°10'23.932" ਚ
128	सुरंगी	72°59'56.654" पू 20°9'53.166" ਚ
129	सुरंगी	72°59'19.019" पू 20°9'54.8" ਚ
130	सुरंगी	72°59'30.407" ਪ੍ਰ 20°9'18.265" ਚ
131	अपती अपती	72°59'17.837" ਧੂ 20°9'14.455" ਚ
132	अपती	72°59'9.26" ਪ੍ਰ 20°8'43.193" ਚ
133		72°58'38.509" ਪ੍ਰ 20°8'57.047" ਚ
134	देलुगम	72 35 35.565 ਵ੍ਰਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ
135	वेलुगम	72 °57'48.002" पू 20°7'44.97" उ
136	वेलुगम	72 37 40.002 ਵ੍ਹਾ 20 5'1.357" ਚ
137	दोलारा	72°4'57 453" # 20°4'47 228" ਚ
138	. दोलारा	73°2'32.01" \(\frac{20°4'37.988" \(\frac{3}{2} \)
139	दोलारा	73 2 32.01 ਪ੍ਰੈ 20 4 57.000 ਹੈ 73°2'3.818" ਪ੍ਰੈ 20°5'1.965" ਚ
140	दोलारा	73 2 3.518 ਪ੍ਰ 20 3 1.555 ਤ 73°2'25.728" ਪ੍ਰ 20°5'15.042" ਚ
141	परजाई	73°225.726 चू 20 3 13.642 ड 73°3'10.877" चू 20°6'11.227" उ
142	परजाई	73°3'5.214" पू 20°6'18.04" उ
143	. परजाई	73°3'5.214 पू 20 6'18.511" उ
144	परजाई	73°0103 183" # 20°6'42 553" ख
145	खेरदी	73°2'23.183" ਧੂ 20°6'42.552" ਚ
146	खेरदी	73°2'29.812" ਧ੍ਰ 20°6'55.688" ਚ
147	कला	73°1'53.004" पू 20°7'48.443" उ
148	कला	73°1'43.347" पू 20°7'44.668" ਚ

149	कला	73°1'34.553" ਪ੍ਰ 20°7'49.382" ਚ
150	कला	73°1'35.928" ਪ੍ਰ 20°7'55.814" ਚ
151	कला	73°1'30.363" ਪ੍ਰ 20°7'54.606" ਚ
152	कला	73°1'20.093" ਪ੍ਰ 20°8'0.907" ਚ
153	कला, करजगाम	73°1'10.88" ਪ੍ਰ 20°7'41.096" ਚ
154	कला, करजगाम	73°1'3.548" ਪ੍ਰ 20°7'45.367" ਚ
155	अमबोली	73°1'4.966" ਧ੍ਰ 20°8'7.611" ਚ
156	अमबोली	73°1'35.056" ਪ੍ਰ 20°8'7.262" ਚ
157	अमबोली	73°1'52.014" ਧ੍ਰ 20°8'28.763" ਚ
158	अमबोली	73°2'1.227" ਪ੍ਰ 20°8'29.324" ਚ
159	अमबोली	73°1'47.5" प੍ਰ. 20°8'40.4" ਚ
160	अमबोली	73°1'51.955" पू 20°8'52.824" ਚ
161	खदोली	73°2'13.305" ਪ੍ਰ 20°8'53.062" ਚ
162	खदोली	73°2'20.536" ਪ੍ਰ 20°8'37.56" ਚ
163	बिन्दराबिन	73°2'44.029" ਪ੍ਰ 20°8'41.03" ਰ
164	बिन्दराबिन	73°2'57.761" ਪ੍ਰ 20°8'29.495" ਚ
165	बिन्दराबिन	73°3'8.151" प੍ਰ 20°7'53.861" ਚ
166	चौदा	73°3'6.273" ਖ੍ਰ 20°7'48.799" ਚ
167	चौदा	73°2'47.341" ਯੂ 20°7'29.798" ਚ
168	चौदा	73°2'58.152" ਧ੍ਰ 20°7'18.918" ਚ
169	चौदा	73°3'18.404" ਪ੍ਰ 20°7'29.225" ਚ
170	चौदा	73°3'30.523" ਧ੍ਰ 20°7'10.567" ਚ
171	चौदा	73°3'39.929" ਧੂ 20°7'15.025" ਚ
172	खानवेल	73°3'51.923" पू 20°7'6.449" उ
173	खानवेल	73°4'2.385" ਪ੍ਰ 20°7'4.043" ਚ
174	तलावली	73°3'59.366" ਪ੍ਰ 20°6'33.302" ਚ
175	तलावली	73°4'21.964" पू 20°6'30.341" उ
176	तलावली	73°4'25.667" पू 20°6'25.111" उ
177	तलावली	73°4'22.143" पू 20°6'15.677" उ
178	तलावली	73°4'14.243" y 20°6'7.111" च
179	तलावली	73°4'11.154" ਪ੍ਰ 20°6'1.807" ਰ
180	तलावली	73°4'11.749" ਪ੍ਰ 20°5'52.876" ਚ
181	तलावली	73°4'31.018" ਪ੍ਰ 20°6'4.086" ਚ
182	तलावली	73°4'32.999" ਪ੍ਰ 20°5'40.962" ਚ
183	खानवेल	73°4'30.924" ਪ੍ਰ 20°7'31.167" ਚ
184	खानवेल	73°4'42.588" ਪ੍ਰ 20°7'9.753" ਰ
185	उमरवारनी	73°4'50.741" ਪ੍ਰ 20°10'16.38" ਚ
186	उमरवारनी	73°4'48.973" प् 20°10'2.152" उ
187	उमरवारनी	73°4'55.874" पू 20°9'53.519" उ
188	उमरवारनी	73°4'48.715" ਪ੍ਰ 20°9'43.587" ਚ
189	उमरवारनी	73°4'52.004" पू 20°9'32.624" उ
190	उमरवारनी	73°4'46.75" पू 20°9'25.691" उ
191	उमरवारनी	73°5'4.03" ਪ੍ਰ 20°9'21.526" ਚ
192	उमरवारनी	T00510 00511 0000140 00 411
193	खुतली	73°5'3.685" ਪ੍ਰ 20°9'10.064" ਚ 73°5'19.236" ਪ੍ਰ 20°9'8.399" ਚ
193	खुतली	
195	खुतली	73°5'17.945" ਪ੍ਰ 20°8'54.865" ਚ
196	खुतली	73°5′24.808" पू 20°8′49.21" उ
196	खुतली	73°5'23.5" ਪ੍ਰ 20°8'37.05" ਰ
	खुतला खुतली	73°5'30.583" पू 20°8'33.231" च
198		73°5'28.486" ਪ੍ਰ 20°8'26.105" ਚ
199	खुतली	73°5'14.027" ਪ੍ਰ 20°8'17.927" ਚ

10	खुतली	73°5'6.073" ਪ੍ਰ 20°8'13.487" ਰ	
)1	खुतली	73°4'50.485" पू 20°8'18.358" च	1
02	खुतली	73°4'17.529" ਪ੍ਰ 20°7'55.082" ਚ	
03	खानवेल	73°4'15.196" 및 20°8'7.202"	
04	खानवेल	73°4'15.196" 및 20°8'7.202" 당	
05	खानवेल	73°4'15.355" पू 20°8'33.787" च	
06	खानवेल .	73°4'14.858" पू 20°8'34.698" उ	
07	खानवेल	73°3'53.251" ਪ੍ਰ 20°8'55.315" ਚ	
:08	खानवेल	73°3'54.434" पू 20°8'38.141" उ	
209	खानवेल	73°3'41.104" पू 20°8'36.848" उ	7
210	बिन्दराबिन	73°3'22.942" प੍ਰ 20°8'33.898" ਚ	-
211	बिन्दराबिन	73°2'55.267" ਪ੍ਰ 20°8'54.445" ਚ	
212	तिनोदा	73°2'56.712" ਧ੍ਰ 20°8'55.378" ਤ	
213	तिनोदा	73°3'8.301" ਪ੍ਰ 20°9'0.09" ਤ	\neg
	तिनोदा	73°3'7.739" ਧੂ 20°9'6.271" ਚ	\neg
214	तिनोदा	73°3'0.009" ਸ਼ੂ 20°9'3.435" ਚ	
215	तिनोदा	73°2'44,926" ਪ੍ਰ 20°9'6.476" ਚ	-
216	तिनोदा	73°2'38 88" ਚ 20°9'24.283" ਚ	
217	खदोली	73°2'17.662" ਪ੍ਰ 20°9'32.755" ਚ	
218	खदोली	73°2'3.222" ਪ੍ਰ 20°10'1.926" ਚ	
219	खदोली	73°1'30.895" ਪ੍ਰ 20°10'5.918" ਚ	
220	दापदा	73°1'29.035" ਪ੍ਰ 20°10'57.228" ਚ	
221		73°1'47.981" ਪ੍ਰ 20°10'56.066" ਚ	
222	दापदा ,	73°1'50.31" ਧੂ 20°11'23.132" ਚ	
223		73°2'7.85" ਪ੍ਰ 20°11'18.058" ਚ	
224	दापदा	73°2'9.896" ਧੂ 20°11'29.08" ਚ	
225	दापदा	73°2'22.007" पू 20°11'31.049" उ	
226	दापदा	73°2'28,523" ਪ੍ਰ 20°11'34.1" ਚ	
227	पाती	73°2'40.038" ਧ੍ਰ 20°11'25.521" ਚ	-
228	पाती	73°2'36.72" ਧੂ 20°11'19.067" ਚ	
229	पाती	73°2'37.763" ਪ੍ਰ 20°11'13.35" ਚ	
230	पाती	73°2'31.533" ਪ੍ਰ 20°11'6.864" ਚ	
231	पाली	73°2'38.228" ਪ੍ਰ 20°10'55.481" ਚ	
232	पाती	73°2'54.864" पू 20°10'44.895" उ	
233	पाती	73°3'4.329" ਪ੍ਰ 20°11'4.479" ਚ	
234	पाती	73°3'1.994" ਪ੍ਰ 20°11'16.598" ਚ	
235	पाती	73°3'5.015" ਪ੍ਰ 20°11'27.402" ਚ	
236	पाती	73°3'10.131" ਧੂ 20°11'25.855" ਚ	
237	पाती	73°3'12.466" ਧੂ 20°11'13.735" ਚ	
238	पाती	73 312.400 ਵ੍ਵੇ 20°10'55.459" ਚ	
239	पाती	73°3'23.075" पू 20°10'59.874" च	
240	पाती	73 323.073 पू 20°10'51.352" च	
241	पाती	73°3'39.927 ਪ੍ਰ 20 10 1.55 73°2'53.269" ਪ੍ਰ 20°11'54.541" ਚ	
242	पाती	73°2'42.973" ਪ੍ਰ. 20°11'43.198" ਚ	
243	पाती	73°2'42.973 ਪ੍ਰ.20°11'44.289" ਚ	
244	दापदा	73°2'17.473 ਪ੍ਰ 20°11'53.095" ਚ	
245	वसोना	73°25.711 \q 20 1100.000 \q	
246	वसोना	73°2'7.795" ਧੂ 20°12'1.139" ਚ	
247	वसोना	73°2'20.909" ਪ੍ਰ 20°12'0.598" ਚ	
248	वसोना	73°2'23.127" ਧ੍ਰ 20°12'17.351" ਚ 73°2'37.712" ਧ੍ਰ 20°12'15.68" ਚ	

उपाबंध II

दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के मीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गाँव के नाम
1	अथाल
2	खारापाडा .
3	लुहारी
4	चिंचपाडा
5	वसोना .
6	दापदा ं
7	पाती:
8	चिकाली
9	सुरंगी
10	अपती
11	रवदोली
12	उमरवानी
13	तिनोदा
14	खुतली
15	खानवेल
16	शेलती .
17	अमबोली •
18	वेलुगम
19	ब्रिंदाबिन
20	कला
21	चौदा
22	कराचगम
23	तलावली
24	परजाई
25	दोलरा
26	सिल्ली
27	किलवानी
28	बोनता
29	गोलान्डा
30	अमीली
31	अथोला
32	सायली
33	कराद
34	फलान्दी
35	उमरकुई
36	खेरदी

उपाबंध - III

संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति – की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

- बैठकों की संख्या और तिथि ।
- बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी
- भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

S.O. 2413(E).—Whereas, a draft notification, for declaration of Eco-sensitive Zone around Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 2927 (E), dated the 17th November, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 17th November, 2014;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas, the Central Government considers that the Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary situated in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, is spread across an area of 91.39 square kilometers and forms an important watershed area for Daman Ganga River;

And Whereas, the Sanctuary is rich in faunal diversity like Panther, Hyaena, Fox, Wild-Cat, Four Horned Antelope, Jackal, Nilgai, Sambar Deer and Chital Deer and several bird species like Black Drongo, Bulbul, Kingfisher, Egret, Hoopoe, Myna, Heron, Red Jungle Fowl;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with subrule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to One Hundred Metres (100 Metres) from the boundary of the Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary on all sides or upto the right of way (Sanctuary side) of an existing road passing near the Sanctuary, whichever is less, as an Eco-Sensitive Zone details of which are as under, namely:-

- Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone. (1) The Eco-sensitive Zone around Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary is spread over an area of 26.57 square kilometers and 36 villages situated in the Eco sensitive zone.
- (2) The extent of Eco-sensitive Zone is 100 meters on all sides of Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary or upto the right of way (Sanctuary side) of an existing road passing near the Sanctuary, whichever is less.
 - (3) The map of the Eco-sensitive Zone with coordinates of prominent points is at Annexure-I.

- (4) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is at Annexure II.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The Administration of Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli shall, for the purpose of the effective management of Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the Administration of Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Administration of Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (hereinafter referred to as Union territory Administration) in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned Departments of Union territories Administration, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Pollution Control Board:
 - (v) Revenue;
 - (vi) Urban Development;
 - (vii) Tourism;
 - (viii) Rural Development;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Irrigation;
 - (xii) Public Works department;
 - (xiii) Water Resources; and
 - (xiv) Irrigation

for integrating environmental and ecological considerations into the said plan.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. Measures to be taken by Union territory Administration.-The Union territory Administration shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (UESZMC), and with the prior approval of the Union territory Administration, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 16, 23 and 25 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and constructions of new roads:

- (ii) Rainwater harvesting; and
- (iii) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union territory Administration and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Administration, after obtaining the views of Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (UESZMC), once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) Natural Springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Administration in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such a reas.
- (3) Tourism.- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Union territory Administration.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under,:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on ecotourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone:
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (UESZMC).
- (4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plans shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance in the Eco-sensitive Zone shall be identified and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution.- The Environment Department of the Union territory Administration shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) Air pollution.- The Environment Department of the Union territory Administration shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under,
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat-friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union territory Administration, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
***************************************		Prohibited Activities
1,	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units.	(a) Commercial mining (minor and major minerals), stone quarrying, crushing units shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of Industries causing pollution (water, air, soil, noise etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
3.	Construction Activities.	No new construction of any kind shall be allowed in the Eco-sensitive Zone: Provided that local people shall be allowed to undertake construction in their land for their residential use with prior permission from the Competent Authority as per applicable laws.
4.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of Polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

11.	Establishment of Commercial hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
Regulated A	Activities	
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Commercial use of water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or oversetted shall.
		commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Discharge of treated effluents.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste the existing regulations shall be followed.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Widening of roads and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose only as per applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated as per applicable laws
19.	Fencing of premises of hotels and lodges	Regulated as per applicable laws.
20.	Commercial Signboards and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
21.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
22	. Laying of gas pipelines	Regulated as per the applicable laws.
Promoted	Activities	
23	. Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
24	Organic farming.	Shall be actively promoted.
25		
26	6. Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. The Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee for the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli -

The Central Government, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee, to be called Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee for the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli to perform the following functions and comprising of the following, namely:-

- (a) Administrator, Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Chairman;
- (b) Chief Conservator of Forests, Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Member
- (c) Chief Wildlife Warden, Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Member
- (d) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Dadra and Nagar Haveli -Member;
- (e) Member Secretary, Poliution Control Committee, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Member;
- (f) Resident Deputy Collector, Silvassa Member;
- (g) Resident Deputy Collector, Khanvel Member;
- (h) Chief Town Planner, Dadra and Nagar Haveli Member;
- (i) Survey and Settlement Officer, Dadra and Nagar Haveli- Member;
- (j) One Representative of Non-Governmental Organisation working in the field of Environment to be nominated by Union territory Administration for a term of one year in each case Member;
- (k) One expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli to be nominated by the Union territory Administration for a term of one year in each case- Member;
- (i) Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Dadra and Nagar Haveli- Member Secretary.


Terms of Reference:

- (1) The Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) In case of activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 to this notification, shall be scrutinised by the Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 to this notification, shall be scrutinised by the Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee or the concerned District Collector or the Divisional Forest Officer in charge of the Wildlife Sanctuary shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Union territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the Union Territory Administration as per pro forma appended as **Annexure III**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed in pending litigation by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/26/2014-RE/ESZ]

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone



Annexure I contd..

S. No. as per Map	Village	Coordinates
1 .	Athal	72°59'18.843"E 20°15'48.377"N
2	Athal	72°59'1.788"E 20°15'52.764"N
3	Athal	72°58'46.043"E 20°15'49.833"N
4	Athal	72°58'41.554"E 20°15'40.157"N
5	Athal	72°58'0.32"E 20°14'59.35"N
6	Kharadpada	72°57'58.986"E 20°14'49.939"N
7	Kharadpada	72°57'55.839"E 20°14'49.216"N
8	Kharadpada	72°57'46.47"E 20°14'41.545"N
9	Kharadpada	72°57'43.155"E 20°14'35.09"N
10	Kharadpada	72°57'46.218"E 20°14'23.668"N
11	Kharadpada	72°57'48.363"E 20°14'8.111"N
12	Kharadpada	72°57'29.902"E 20°14'8.813"N
13	Luhari	72°57'35.214"E 20°12'0.782"N
14	Luhari	72°58'7.506"E 20°12'56.152"N
15	Luhari	72°58'18.191"E 20°12'55.817"N
16	Luhari	72°58'25.849"E 20°12'45.593"N
17	Luhari	72°58'15.348"E 20°12'31.723"N
18	Luhari	72°58'11.877"E 20°12'18.622"N
19	Luhari	72°57'53.332"E 20°12'7.408"N
20	Luhari	72°57'39.478"E 20°11'12.939"N
21	Luhari	72°57'48.662"E 20°10'57.234"N
22	Luhari	72°58'12.187"E 20°11'36.004"N
23	Luhari	72°58'22.488"E 20°12'5.224"N
24	Luhari	72°58'36.656"E 20°12'17.074"N
25	Luhari	72°58'46.902"E 20°11'54.277"N
26	Luhari	72°58'39.882"E 20°11'52.822"N
27	Luhari	72°58'38.074"E 20°11'42.489"N
28	Luhari	72°58'27.221"E 20°11'37.094"N
29	Luhari	72°58'29.222"E 20°11'13.743"N
30	Kharadpada	72°59'11.793"E 20°14'14.803"N
31	Karad	73°3'5.923"E 20°12'11.41"N
32	Karad	73°2'36.318"E 20°12'30.101"N
33	Karad	73°3'15.685"E 20°13'25.307"N
34	Karad	73°3'28.294"E 20°13'46.071"N
35	Sayli	73°3'28.289"E 20°13'46.53"N
36	Sayli	73°3'29.043"E 20°14'3.954"N
37	Sayli	73°3'33.914"E 20°14'22.34"N
38	Sayli	73°3'22.954"E 20°14'5.491"N
39	Sayli	73°3'2.546"E 20°14'6.639"N
40	Sayli	73°2'50.322"E 20°14'13.378"N
41	Sayli	73°2'37.593"E 20°14'21.715"N
42	Sayli	73°2'27.513"E 20°14'31.685"N
43	Sayli	73°2'50.59"E 20°14'30.797"N
44	Sayli	-73°2'19.047"E 20°15'7.797"N
45	Sayli	73°2'2.27"E 20°15'28.921"N
46	Athola	73°2'28.59"E 20°15'40.673"N
47	Athola	73°2'22.427"E 20°16'26.664"N
48	Athola	73°2'26.691"E 20°16'35.191"N

	Athola	73°2'34.493"E 20°16'32.757"N
)	Athola	73°2'46.764"E 20°16'3.104"N
)	Falandi	73°3'10.839"E 20°15'40.915"N
	Falandi	73°2'58.824"E 20°16'9.655"N
2	Falandi	73°3'3.54"E 20°16'20.936"N
3	Falandi	73°3'14.938"E 20°16'22.208"N
4	Falandi	73°3'29.015"E 20°16'3.344"N
5	Falandi	73°3'33.831"E 20°15'47.128"N
56	Falandi	73°3'48.967"E 20°15'40.65"N
57	Umarkui	73°4'3.906"E 20°15'30.502"N
58	Umarkui	73°4'6.267"E 20°15'16.321"N
59	Umarkui	73°4'19.62"E 20°15'16.468"N
60	Umarkui	73°4'21.943"E 20°15'24.972"N
61	Umarkui	73°4'40.404"E 20°15'24.487"N
62		73°4'42.459"E 20°15'15.343"N
63	Umarkui	73°4'51.126"E 20°15'21.396"N
64	Umarkui	73°4'38.6"E 20°15'32.946"N
65	Umarkui	73°4'37.437"E 20°15'48.516"N
66	Umarkui	73°4'42.705"E 20°16'14.24"N
67	Umarkui	73°4'27.119"E 20°16'37.443"N
68	Galonda	73°4'35.793"E 20°16'43.038"N
69	Galonda	73°4'30.092"E 20°16'52.371"N
70	Galonda	73°4'14.723"E 20°16'57.931"N
71	Galonda	73°4'32.837"E 20°17'6.151"N
72	Galonda	73°4'37.035"E 20°17'20.175"N
73	Galonda	73°4'57.716"E 20°17'17.194"N
74	Kilvani	73°4'55.214"E 20°17'3.417"N
75	Kilvani	73°5'4.018"E 20°16'58.472"N
76	Kilvani	73°5'18.663"E 20°17'12.382"N
77	Kilvani	73°5'18.663' E 20 17 12.362 N 73°5'19.31"E 20°17'19.034"N
78	Kilvani	
79	Kilvani	73°5'32.258"E 20°17'32.696"N
80	Kilvani	73°5'52.339"E 20°17'39.102"N
81	Kilvani	73°5'57.849"E 20°17'45.349"N
82	Bonta	73°6'3.834"E 20°17'32.581"N
83	Bonta	- 73°6'41.354"E 20°17'43.07"N
84	Bonta	73°7'7.338"E 20°17'43.579"N
85	Bonta	73°6'44.879"E 20°17'32.796"N
86	Bonta	73°6'37.895"E 20°17'27.908"N
87	Bonta	73°6'55.759"E 20°17'16.872"N
88	Bonta	73°6'47.609"E 20°16'47.909"N
89	Bonta	73°7'7.897"E 20°16'37.128"N
90	Bonta	73°7'38.705"E 20°16'19.812"N
91	Bonta	73°7'31.636"E 20°16'42.195"N
92	Bonta	73°8'3.364"E 20°17'9.804"N
93	Bonta	73°8'15.253"E 20°17'10.847"N
93	Bonta	73°8'9.566"E 20°16'18.308"N
95	Chinchpada	72°59'37.633"E 20°12'51.001"N
	Chinchpada	73°0'1.49"E 20°12'7.734"N
96	Chinchpada	73°1'1.622"E 20°11'53.75"N
97	Chinchpada, Dapda	2001 H42 072"N
98	Dapda	73°0'6.642"E 20°11'44.419"N

100	Dapda	73°0'7.218"E 20°11'37.322"N
101	Dapda	72°59'54.175"E 20°11'32.361"N
102	Chikali	72°59'44.725"E 20°11'31.108"N
103	Chikali	72°59'48.742"E 20°11'20.613"N
104	Chikali	72°59'58.49"E 20°11'17.515"N
105	Chikali	73°0'19.2"E 20°11'11.334"N
106	Chikali	73°0'14.577"E 20°10'53.179"N
107	Chikali	73°0'36.036"E 20°10'45.173"N
108	Chikali	73°0'46.901"E 20°10'49.649"N
109	Chikali	73°1'5.072"E 20°10'32.897"N
110	Chikali	73°0'57.16"E 20°10'25.246"N
111	Chikali	73°1'19.704"E 20°10'8.084"N
112	Khadoli	73°1'24.06"E 20°9'49.8"N
113	Khadoli	73°1'3.231"E 20°9'46.587"N
114	Khadoli	73°1'12.047"E 20°9'21.021"N
115	Khadoli	73°1'33.1"E 20°9'6.362"N
116	Amboli	73°1'27.575"E 20°9'1.946"N
117	Amboli	73°1'14.727"E 20°9'0.885"N
118	Amboli	
119	Amboli	73°1'19.233"E 20°8'49.936"N
120		73°1'9.061"E 20°8'29.198"N
120	Amboli	73°0'30.173"E 20°8'15.239"N
	Surangi	73°0'12.808"E 20°8'26.042"N
122	Surangi	73°0'53.42"E 20°8'57.208"N
123	Surangi	73°0'51.077"E 20°9'9.785"N
124	Surangi	73°0'59.026"E 20°9'14.458"N
125	Surangi	73°0'56.304"E 20°9'37.801"N
126	Surangi	73°0'28.181"E 20°10'13.919"N
127	Surangi	73°0'14.619"E 20°10'11.703"N
128	Surangi	73°0'1.844"E 20°10'23.932"N
129	Surangi	72°59'56.654"E 20°9'53.166"N
130	Surangi	72°59'19.019"E 20°9'54.8"N
131	Apti	72°59'30.407"E 20°9'18.265"N
132	Apti	72°59'17.837"E 20°9'14.455"N
133	Apti	72°59'9.26"E 20°8'43.193"N
134	Velugam	72°58'38.509"E 20°8'57.047"N
135	Velugam	72°58'3.734"E 20°7'47.902"N
136	Velugam	72°57'48.002"E 20°7'44.97"N
137	Dolara	73°1'29.868"E 20°5'1.357"N
138	Dolara	73°1'57.453"E 20°4'47.228"N
139	Dolara	73°2'32.01"E 20°4'37.988"N
140	Dolara	73°2'3.818"E 20°5'1.965"N
141	Parzai	73°2'25.728"E 20°5'15.042"N
142	Parzai	73°3'10.877"E 20°6'11.227"N
143	Parzai	73°3'5.214"E 20°6'18.04"N
144	Parzai	73°2'53.202"E 20°6'8.511"N
145	Kherdi	73°2'23.183"E 20°6'42.552"N
146	Kherdi	73°2'29.812"E 20°6'55.688"N
147	Kala	73°1'53.004"E 20°7'48.443"N
148	Kala	73°1'43.347"E 20°7'44.668"N
149	Kala	73°1'34.553"E 20°7'49.382"N
150	Kala	73°1'35.928"E 20°7'55.814"N

	Kala	73°1'30.363"E 20°7'54.606"N	`
	Kala	73°1'20.093"E 20°8'0.907"N	
	Kala, Karajgam	73°1'10.88"E 20°7'41.096"N	
	Kala, Karajgam	73°1'3.548"E 20°7'45.367"N	1.
	Amboli	73°1'4.966"E 20°8'7.611"N	
	Amboli	73°1'35.056"E 20°8'7.262"N	
	Amboli	73°1'52.014"E 20°8'28.763"N	
	Amboli	73°2'1.227"E 20°8'29.324"N	
1	Amboli	73°1'47.5"E 20°8'40.4"N	1
)	Amboli	73°1'51.955"E 20°8'52.824"N	
,	Khadoli	73°2'13.305"E 20°8'53.062"N	
2	Khadoli	73°2'20.536"E 20°8'37.56"N	
3	Bindrabin	73°2'44.029"E 20°8'41.03"N	
, 4	Bindrabin	73°2'57.761"E 20°8'29.495"N	
5	Bindrabin	73°3'8.151"E 20°7'53.861"N	
6	Chauda	73°3'6.273"E 20°7'48.799"N	
7	Chauda	73°2'47.341"E 20°7'29.798"N	
	Chauda	73°2'58.152"E 20°7'18.918"N	
8	Chauda	73°3'18.404"E 20°7'29.225"N	
9	Chauda	73°3'30.523"E 20°7'10.567"N	
0	Chauda	73°3'39.929"E 20°7'15.025"N	
1	Khanvel	73°3'51.923"E 20°7'6.449"N	- A Management of the Control of the
72	Khanvel	73°4'2.385"E 20°7'4.043"N	
73	Talavali	73°3'59.366"E 20°6'33.302"N	
74	Talavali	73°4'21.964"E 20°6'30.341"N	
75	Talavali	73°4'25.667"E 20°6'25.111"N	
76	Talavali	73°4'22.143"E 20°6'15.677"N	
77	Talavali	73°4'14.243"E 20°6'7.111"N	
78	Talavali	73°4'11.154"E 20°6'1.807"N	
79	Talavali	73°4'11.749"E 20°5'52.876"N	
80	Tajavali	73°4'31.018"E 20°6'4.086"N	
181	Talavali	73°4'32.999"E 20°5'40.962"N	
182	Khanvel	73°4'30.924"E 20°7'31.167"N	
183	Khanvel	73°4'42.588"E 20°7'9.753"N	
184	Umarvarni	73°4'50.741"E 20°10'16.38"N	
185	Umarvarni	73°4'48.973"E 20°10'2.152"N	
186	Umarvarni	73°4'55.874"E 20°9'53.519"N	
187		73°4'48.715"E 20°9'43.587"N	
188	Umarvarni	73°4'52.004"E 20°9'32.624"N	
189	Umarvarni	73°4'46.75"E 20°9'25.691"N	
190	Umarvarni	73°5'4.03"E 20°9'21.526"N	
191	Ullial value	73°5'3.685"E 20°9'10.064"N	
192	Umarvarni	73°5'19.236"E 20°9'8.399"N	
193	Khutli	73°5'17.945"E 20°8'54.865"N	
194	Khutli	73°5'24.808"E 20°8'49.21"N	
195	Khutli	73°5'23.5"E 20°8'37.05"N	
196	Khutli	73°5'30.583"E 20°8'33.231"N	
197	Khutli	73°5'28.486"E 20°8'26.105"N	
198	Khutli	73°5'14.027"E 20°8'17.927"N	
199	Khutli	73°5'6.073"E 20°8'13.487"N	
200	Khutli	73°4'50.485"E 20°8'18.358"N	

202	Khutli	73°4'17.529"E 20°7'55.082"N
203	Khanvel	73°4'15.196"E 20°8'7.202"N
204	Khanvel	73°4'15.196"E 20°8'7.202"N
205	Khanvel	73°4'15.355"E 20°8'33.787"N
206	Khanvel .	73°4'14.858"E 20°8'34.698"N
207	Khanvel	73°3'53.251"E 20°8'55.315"N
208	Khanvel	73°3'54.434"E 20°8'38.141"N
209	Khanvel	73°3'41.104"E 20°8'36.848"N
210	Bindrabin	73°3'22.942"E 20°8'33.898"N
211	bindrabin	73°2'55.267"E 20°8'54.445"N
212	Tinoda	73°2'56.712"E 20°8'55.378"N
213	Tinoda	73°3'8.301"E 20°9'0.09"N
214	Tinoda	73°3'7.739"E 20°9'6.271"N
215	Tinoda	73°3'0.009"E 20°9'3.435"N
216	Tinoda	73°2'44.926"E 20°9'6.476"N
217	Tinoda	73°2'38.88"E 20°9'24.283"N
218	Khadoli	73°2'17.662"E 20°9'32.755''N
219	Khadoli	73°2'3.222"E 20°10'1.926"N
220	Khadoli	73°1'30.895"E 20°10'5.918"N
221	Dapada	73°1'29.035"E 20°10'57.228"N
222	Dapada	73°1'47.981"E 20°10'56.066"N
223	Dapada	73°1'50.31"E 20°11'23.132"N
224	Dapada	73°2'7.85"E 20°11'18.058"N
225	Dapada	73°2'9.896"E 20°11'29.08"N
226	Dapada	73°2'22.007"E 20°11'31.049"N
227	Pati	73°2'28.523"E 20°11'34.1"N
228	Pati	73°2'40.038"E 20°11'25.521"N
229	Pati	73°2'36.72"E 20°11'19.067"N
230	Pati	73°2'37.763"E 20°11'13.35"N
231	Pati	73°2'31.533"E 20°11'6.864"N
232	Pati	73°2'38.228"E 20°10'55.481"N
233	Pati	73°2'54.864"E 20°10'44.895"N
234	Pati	73°3'4.329"E 20°11'4.479"N
235	Pati	73°3'1.994"E 20°11'16.598"N
236	Pati	73°3'5.015"E 20°11'27.402"N
237	Pati	73°3'10.131"E 20°11'25.855"N
238	Pati	73°3'12.466"E 20°11'13.735"N
239	Pati	73°3'17.547"E 20°10'55.459"N
240	Pati	73°3'23.075"E 20°10'59.874"N
241	Pati	73°3'39.927"E 20°10'51.352"N
242	Pati	73°2'53.269"E 20°11'54.541"N
242	Pati	73 2 33.209 E 20 11 34.341 N 73°2'42.973"E 20°11'43.198"N
		73°2'17.473"E 20°11'44.289"N
244	Dapda	73°2'5.711"E 20°11'53.095"N
245	Vasona	73°2'7.795"E 20°12'1.139"N
246	Vasona	73°2'7.793°E 20°12'1.139 N 73°2'20.909"E 20°12'0.598"N
247	Vasona	73°2'20.909"E 20°12'0.398 N 73°2'23.127"E 20°12'17.351"N
248	Vasona	
249	Vasona	73°2'37.712"E 20°12'15.68"N

3764 GE 15-7

Annexure II

List of Villages falling Within Eco Sensitive Zone of Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary

S.No.	Village Name
1	Athal
2	Kharapada
3	Luhari
4	Chinchpada
5	Vasona
6 .	Dapada
7	Pati
8	Chikali
9	Surangi
10	Apti
11	Khadoli
12	Umarvani
13	Tinoda
14	Khutli
15	Khanvel
16	Shelti
17	Amboli
18	Velugam
19	Brindrabin
20	Kala
21	Chauda
22	Karachgam
23	Talavali
24	Parzia
25	Dolara
26	Silli
27	Kilwani
28	Bonta
29	Golanda
30	Amili
31	Athola
32	Sayali
33	Karad
34	Falandi
35	Umarkui
36	Kherdi

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan (Eco-sensitive Zone wise)
- Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone wise).
 Details may be attached as Annexure
- Summary of cases scrutinized for activities covered under Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).
 - Details may be attached as separate Annexure.
- Summary of case scrutinized for activities not covered under Environmental Impact Assessment Notification (Eco-sensitive Zone wise).
 - Details may be attached as separate Annexure.
- Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. (Eco-sensitive Zone wise).
- Any other matter of importance